*प्रेस नोट*
*जनपद – संतकबीरनगर*
*दिनांक – 29.06.2026*

***दबिश के दौरान 19 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा 11 नफर वारण्टी नाम पता 01. रजेआलम पुत्र तहसीलदार निवासी रामूपुर 02. शिवकुमार पुत्र शिवमूरत निवासी हरिहरपुर 03. रामा उर्फ रमाकान्त पुत्र मोहित 04. हर्षमणि पुत्र ओमकार 05. भुवर उर्फ बबुन्दर पुत्र मोहित निवासीगण खरवनिया खुर्द, 06. जगलाल पुत्र जगी साकिन केवटली 07. रामबीर पुत्र मुरली साकिन केवटली थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर व 04 नफर अन्य वारण्टियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, उ0नि0 श्री अजय कुमार भारती, उ0नि0 श्री अशोक कुमार, हे0का0 नूरुद्दीन खाँ, हे0का0 पंकज यादव, का0 छोटेलाल, का0 मनीष कुमार, का0 विनोद मौर्या, का0 उत्कर्ष सिंह, का0 सुनील कुमार सिंह।
***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. सनी पुत्र मुन्शी निवासी नटवा 02. पेशकार पुत्र मु0 सफी निवासी उत्तर पट्टी थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, रि0का0 आशुतोष शुक्ला, रि0का0 शुभम वर्मा।
***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. अशोक कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी दशांवा 02. रामदयाल पुत्र स्व0 उजागिर निवासी बरगदईया, चाई खुर्द थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री लालचन्द प्रसाद, हे0का0 जयचन्द कन्नौजिया, का0 अजीत पासवान।
***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. रामभेज पुत्र रामसवारे निवासी बूधाकला 02. श्रीचन्द वर्मा पुत्र राम किशुन वर्मा निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री प्रभान्शु राय, उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, का0 जयकिशन गौड़ ।
***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. महिला वारण्टी पार्वती देवी पत्नी ब्रह्मदेव निवासी चिरैयाडाड़ थाना बखिरा 02. सुदामा केवट पुत्र छोटेलाल केवट निवासी जंगल बेलहर थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, उ0नि0 श्री मोहन प्रसाद चौधरी, उ0नि0 श्री राम मिलन साहनी, उ0नि0 श्री संजय सिंह व म0का0 सुनीता गौड़ ।

***शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार***

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 395 वाहनों से 6,27,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनाँक 29.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 395 वाहनों से 6,27,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस एक्ट में 02 अभियुक्तों को 02 किलो 365 ग्राम अवैध गाँजा व 02 अदद एण्ड्रायड फोन के साथ किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.06.2026 को 02 अभियुक्तों नाम पता 01. आकाश यादव पुत्र जमुना साकिन विसया हन्नू थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व 02. प्रवेश चौधरी पुत्र श्री भागवत चौधरी साकिन बेलीडीह थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को पचरा तिराहा बंधा रामजानकी मार्ग के पास से 02 किलो 365 ग्राम नाजायज गांजा व 02 अदद एण्ड्राएड मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0स0 460/2026 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना धनघटा बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-***
01. आकाश यादव पुत्र जमुना साकिन विसया हन्नू थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
02. प्रवेश चौधरी पुत्र श्री भागवत चौधरी साकिन बेलीडीह थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी का विवरणः-***

- कुल 02 किलो 365 ग्राम अवैध गांजा।

***गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-* -** उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, उ0नि0 श्री वीर बहादुर यादव, का0 अजय कुमार, का0 विनीत गिरी, का0 मनोज यादव।

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 बाल अपचारी को, घटना मे प्रयुक्त 01 अदद एक अदद चाकू के साथ किया गया निरुद्ध***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री दिलीप कुमार सिंह*** की गठित टीम द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0स0 456/2026 धारा 109, 352,351(3) बीएनएस में वांछित बाल अपचारी को आज दिनाँक 29.06.2026 को घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू के साथ निरुद्ध कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 28.06.2026 को वादिनी अकबरी बेगम पत्नी अब्दुल कादिर निवासिनी प्रजापतिपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि बाल अपचारी द्वारा उनके पुत्र को जान से मारने की नियत से चाकू मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धनघटा पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घटना में सम्मिलित बाल अपचारी को निरुद्ध कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

*निरुद्ध करने वाले पुलिस बल का विवरण-* उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव, रि0का0 आशीष मिश्रा, रि0का0 देवेन्द्र ।

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 02अदद टिल्लू पम्प व 02 अदद लोहे की पाइप के साथ वाँछित 01 बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री दिलीप सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 455/2026 धारा 303(2), 324(4) बीएनएस में वांछित बाल अपचारी को 02 अदद टिल्लू पम्प व 02 अदद लोहे की पाइप के साथ बैराड़ी पुलिया खलवा के पास से निरुद्ध किया गया।

*घटना का विवरण-* दिनाँक 28.06.2026 को वादी श्री फैज मोहम्मद पुत्र मो0 अली निवासी रुस्तमपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर तहरीर दिया गया कि वह मदरसा रिजविया अहले सुन्नत रुस्तमपुर शनिचरा बाजार के प्राधानाचार्य के पद पर कार्यरत है एवं मोहर्रम की छुट्टी के उपरान्त जब मदरसा खुला तो टिल्लू पम्प चोरी व सीसीटीवी छतिग्रस्त पाया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 455/2026 धारा 303(2), 324(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2), 317(4)) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

*बरामदगी का विवरण –* 02 अदद टिल्लू पम्प व 02 अदद लोहे की पाइप।

*निरुद्ध करने वाली थाना धनघटा टीम-* उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री अनिल कुमार राय, उ0नि0 श्री इन्द्रजीत यादव, का0 सत्यम सिंह द्वितीय, का0 जितेन्द्र यादव, रि0का0 देवेन्द्र वर्मा।

***थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल *श्री राकेश कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर अभियुक्त 01. अजय उर्फ रिंकू उपाध्याय पुत्र रामअवध उपाध्याय निवासी करहना थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 29.06.2026 को ग्राम करहना से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अं0स0 265/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा निवारण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-***
01. अजय उर्फ रिंकू उपाध्याय पुत्र रामअवध उपाध्याय निवासी करहना थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:-***
उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, हे0का0 सुरेन सिंह, हे0का0 रामरतन तिवारी।

***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को चोरी की 01 अदद मोटर साईकिल व 300 ग्राम अवैध गाँजा के साथ किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.06.2026 को 01 अभियुक्त नाम पता राकेश पुत्र प्रहलाद निवासी कौवाठोर टोला भरवलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को मोहिया पुल के पास से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस(रजि0नं0 UP52AK6080) व 300 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहदावल पर चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0स0 263/2026 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी व बरामद अवैध गाँजा के सम्बन्ध में मु0अ0स0 264/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.06.2026 की रात्रि में राजकुमार पुत्र रामअचल निवासी कौवाठोर थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर की मोटरसाइकिल को उनके घर के बाहर से चोरी किया था।

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-***
राकेश पुत्र प्रहलाद निवासी कौवाठोर टोला भरवलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी का विवरणः-***

- कुल 300 ग्राम अवैध गांजा।
- चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस(रजि0नं0 UP52AK6080)।

***गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-* -** उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, कां0 अंकेश कुमार यादव, कां0 उदय प्रताप सिंह ,कां0 संदीप कुमार गुप्ता।

*प्रेस नोट*
*जनपद – संतकबीरनगर*
*दिनाँक 29.06.2026*

*मा0 जिला जज, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार संतकबीरनगर का किया गया औचक निरीक्षण*

*निरीक्षण के दौरान बैरकों की तलाशी तथा परिसर, कार्यालय व मेस आदि की साफ सफाई का लिया गया जायजा*

*जेल परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाने व साफ सफाई आदि के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश*

आज दिनाँक 29.06.2026 को मा0 जिला जज *श्री रणधीर सिंह* जिलाधिकारी संतकबीरनगर *श्री आलोक कुमार* व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा संयुक्त रुप से जिला कारागार संतकबीरनगर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैरक, मेस, जेल परिसर आदि की सघन चेकिंग की गई, तत्पश्चात कैदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं / सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। मौजूद सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाने पाये, समस्त कार्यवाहियों का निर्वहन पूर्ण / सही तरीके से करें। जेल परिसर की साफ-सफाई आदि के सम्बन्ध में कारागार कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।

***“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग से छेड़खानी के मामले में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व कुल 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 29.06.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 27.08.2018 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना मेंहदावल पर अभियुक्त बलिराम पुत्र छोटेलाल निवासी जमुहरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध छेड़खानी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। निरीक्षक श्री गौरव सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 225/2018 धारा 354 ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त बलिराम उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 354ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 354 ख भादवि के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 3000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 03 माह साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

□ *जनपद संतकबीरनगर, सराहनीय कार्य- ऑपरेशन कन्विक्शन* □

***“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग से छेड़खानी के मामले में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व कुल 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

*श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 29.06.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 27.08.2018 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना मेंहदावल पर अभियुक्त बलिराम पुत्र छोटेलाल निवासी जमुहरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध छेड़खानी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। निरीक्षक श्री गौरव सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 225/2018 धारा 354 ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त बलिराम उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 354ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 354 ख भादवि के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 3000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 03 माह साधारण कारावास से दण्डित किया गया।